



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 16.09.2023

1. थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा रिमाण्ड पर लाये गये अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर को बरामद किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- थाना ईकोटेक प्रथम के मु0अ0सं0- 54/2023 धारा 307/336/120बी भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त अरुण पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम इमलियाका, थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। दिनांक 16.09.2023 को मुकदमा उपरोक्त में वादी के घर के बाहर की गयी फायरिंग में प्रयुक्त अस्लाह पिस्टल की बरामदगी हेतु माननीय न्यायालय सीजे(जे.डी.)/एफ.टी.सी.-1 गौतमबुद्धनगर से पीसीआर प्राप्त कर अभियुक्त अरुण उपरोक्त की निशादेही पर पीपली मंदिर की पिछली दिवार के पीछे पास पडी ईंटो के ढेर से पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 17.07.2023 को वादी के पैतृक घर ग्राम इमलियाका, थाना इकोटेक प्रथम के गेट पर दो अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना ईकोटेक प्रथम पर मु0अ0सं0- 54/2023 धारा 307/336/120बी भादवि पंजीकृत हुआ था। जिसमें अरुण पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम इमलियाका थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर का नाम प्रकाश में आया था जो मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहा था। मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में एक वांछित अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अरुण पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम इमलियाका, थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. एक पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर

अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-19/2020 धारा 147/148/149/307/323/427/504/506 भादवि थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-138/2022 धारा 308/323/324/452/504/506 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-278/2018 धारा 307/323/34 आर्म्स एक्ट, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-176/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-177/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0- 211/2023 धारा 147/148/149/323/504/506/307/34 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-54/2023 धारा 307/336/120बी भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

2.थाना दादरी पुलिस द्वारा घरों/अस्पतालो में घुसकर चोरी करने वाले 03 शातिर चोर गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.09.2023 को थाना दादरी पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज की सहायता से उपरोक्त मुकदमों का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त 1.शादाब पुत्र आजाद सिंह 2.फिरोज पुत्र शहीद व 3.गौरव पुत्र रिछपाल को सूरजबैण्ड वाली गली के मोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 08.02.2023 को वादी द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध वादी के घर में घुसकर वादी का मोबाइल व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध थाना दादरी पर मु0अ0सं0 70/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया गया था एवं दिनांक 15.09.2023 को अन्य वादी द्वारा स्वयं का रियलमी मोबाइल अज्ञात अभियुक्त द्वारा अस्पताल से सोते समय चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 502/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शादाब पुत्र आजाद सिंह निवासी गली नं0-01, बादशाह नगर, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र-23 वर्ष।
2. फिरोज पुत्र शहीद निवासी रज्जाक चैयरमैन वाली गली, नई आबादी कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र-27 वर्ष।
3. गौरव पुत्र रिछपाल निवासी-24 फुटा रोड, तुलसी विहार कॉलोनी, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-070/23 धारा 380/411 थाना दादरी
2. मु0अ0सं0-502/23 धारा 379/411 भादवि थाना दादरी
3. मु0अ0सं0-505/2023 धारा 414 भादवि थाना दादरी

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोबाइल रेडमी रंग काला सम्बन्धित मु0अ0सं0 070/23 धारा 380/411 भा0द0वि
2. रियलमी मोबाइल रंग मटमैला सम्बन्धित मु0अ0सं0-502/23 धारा 379/411 भादवि
3. एक मोबाइल रंग काला लॉक लगा हुआ सम्बन्धित मु0अ0सं0 505/2023 धारा 414 भादवि

3.थाना बिसरख पुलिस द्वारा आम्रपाली ड्रीम वैली की निर्माणाधीन सोसायटी में हुयी लिफ्ट गिरने की घटना से सम्बन्धित घटना में वांछित गिरधारी लाल कन्ट्रेक्शन प्रा0लि0 के जीएम को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.09.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद/वांछित अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ देवेन्द्र शर्मा को उसके निवास स्थान से विला नं0-48, हेरीटेज फ्लोर एण्ड विलाज जलपुरा, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ देवेन्द्र शर्मा को बाद गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 15.09.2023 को आम्रपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में प्रातः समय करीब 9 बजे कन्ट्रेक्शन साईट टेकजोन-4 में सी ब्लॉक के टावर नं0 12 पर 14वीं मजिल से पैसेन्जर लिफ्ट गिर जाने के कारण 1.इस्ताक अली पुत्र इरशाद अली निवासी ग्राम फतेहजोर बिसरोलिया, थाना कोतवाली बलरामपुर, जिला बलरामपुर, उ0प्र0 उम्र 23 वर्ष 2.अरुण तांती मंडल पुत्र रुदल मंडल निवासी ग्राम हुशारी, थाना खौसी, जिला बांका, बिहार उम्र 40 वर्ष 3.विपोत मंडल पुत्र दीनू मंडल निवासी ग्राम भागूडीह, थाना अहमदाबाद, जिला कटियार, बिहार उम्र 45 वर्ष 4.आरिस खान पुत्र शाकिर निवासी गांव सियाली जागीर, थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गयी थी तथा 05 व्यक्ति क्रमशः 1.अरबाज पुत्र अर्शद निवासी ग्राम अजराडा,

थाना मुडाली, जिला मेरठ उम्र 19 वर्ष 2.कुलदीप पुत्र दशरथ निवासी दीपकपुर, थाना कोतवाली छिबरामऊ, जिला कन्नौज, उम्र 20 वर्ष 3.मानअली पुत्र मेहराज अली निवासी फेहतेजोर, थाना रामपुर बन्धसरा, जिला बलरामपुर उम्र 20 वर्ष 4.मौहम्मद अली खान पुत्र मौहम्मद आसिफ खान निवासी ग्राम सियाली, थाना हसनपुर जिला अमरोहा उम्र 18 वर्ष व 5.कैफ पुत्र नन्नू निवासी ग्राम अजराडा, थाना मुराडी, जिला मेरठ घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उपचाराधीन थे जिसमें आज दिनांक 16.09.2023 को अरवाज, कुलदीप, मानअली व मौहम्मद अली उपरोक्त की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी व मौहम्मद कैफ जिला अस्पताल में उपचाराधीन है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. देवेन्द्र सिंह उर्फ देवेन्द्र शर्मा पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम थेंदा, थाना गढदिवाला, जनपद होशियारपुर, पंजाब वर्तमान निवासी विला नं0 48 हेरीटेज फ्लोर एण्ड विलाज, जलपुरा थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर उम्र 48 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 777/2023 धारा 304/308/337/338/287/34 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।